राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2021/5946 जयपुर, दिनांक 29 नवम्बर, 2021

## अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2021/III/5743 दिनांक 25.11.2021 द्वारा घोषित संलग्न सूची के अनुसार राज्य के 4 जिलों (बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर) में पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव माह नवम्बर–दिसम्बर 2021 हेतु मतदान तीन चरणों में चरणवार दिनांक 12.12.2021, 15.12.2021 एवं 18.12.2021 कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के उक्त आम चुनाव दिनांक 12.12.2021 (रविवार), 15.12.2021 (बुधवार) एवं 18.12.2021 (शनिवार), को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक (बजट)

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/III/5947 दिनांकः 30.11.2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग